



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032026-271064
CG-DL-E-19032026-271064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 60]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

मामला संख्या: एडीडी – (एसएसआर)-03/2026

विषय: ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

- फा.सं. 07/06/2026-डीजीटी—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है), ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई (जिन्हे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है।
- अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले हटाए न गए हों, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएंगे, और प्राधिकारी को यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। तदनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित अनुरोध के

आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

क. पिछली जांचों की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच 29.09.2020 को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच की शुरुआत अधिसूचना संख्या 6/45/2020- डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/45/2020 - डीजीटीआर दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को पांच साल की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या 73/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से लागू किया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 16.12.2026 तक वैध हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर (जिप्सम प्लास्टर)" है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टुको और स्टुको पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (सीएसओ4.2एच2ओ) कहा जाता है, जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म किए जाने पर, यह अपनी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी (एच2ओ) खो देता है और स्टुको या जिप्सम प्लास्टर बन जाता है जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट (सीएसओ4.0.5एच2ओ) के रूप में जाना जाता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसार, उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"7. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टेट" है। संबद्ध सामानों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टुको और स्टुको पाउडर के रूप में भी जाना जाता है।

8. जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (सीएसओ4.2 एच2ओ) कहा जाता है, जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म किए जाने पर, यह अपनी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी (एच2ओ) खो देता है और स्टुको या जिप्सम प्लास्टर बन जाता है जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट (सीएसओ4.0.5 एच2ओ) के रूप में जाना जाता है।

9. संबद्ध सामानों का प्रयोग मुख्य रूप से सतह को समतल करने के लिए किया जाता है। अर्थात्, ईट/ब्लॉक/आरसीसी सतह को 12-15 मिमी ग्लिप्सम प्लास्टर से लेपित किया जाता है जो इसे चिकनी लहरदार, दरार मुक्त फिनिश देता है। इसके बाद ऊपर से पुट्टी और पेंट लगाया जाता है। परंपरागत रूप से लोग सैंड-सेर्नेट प्लास्टर का उपयोग करते थे जिसे अब जिप्सम प्लास्टर के सीधे कोट से बदल दिया गया है। इसका उपयोग कॉमिक्स और पीओपी शीट जैसे सजावटी भवन एलानेंट्स के रूप में भी किया जाता है। संबद्ध सामानों का उपयोग रेत-सीमेंट प्लास्टर के शीर्ष पर समतलीकरण/परिष्करण एलिमेंट जैसे पुनिंग के उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है।

10. संबद्ध उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय शीर्ष 25 "खनिज उत्पाद: नमक; सल्फर; मिट्टी और पत्थर; प्लास्टर सामग्री, चूना और सेर्नेट" के तहत वर्गीकृत हैं, एस-अंक स्तर पर वर्गीकरण 25202010 है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से, यह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण संघर्ष की परिस्थितियों में विद्यमान हैं।

5. यह तर्क दिया गया है कि इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो पिछली जांच में परिभाषित है।

6. आवेदक उद्योग ने कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख या इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीसीएन और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ग. समान वस्तु

7. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि

विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं।

8. इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, जांच दल यह मानने का प्रस्ताव करता है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. शामिल देश

9. इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबंधित वस्तुओं को उन वस्तुओं के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है जो संबंधित देशों से आयात की जा रही हैं।

ड. जांच की अवधि

10. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024, अप्रैल 2024 - मार्च 2025 और जांच की प्रस्तावित अवधि है।

च. घरेलू उद्योग और आधार

11. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

12. यह आवेदन-पत्र मेसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में कैल्सीनड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर का प्रमुख उत्पादक (55%) है। मेसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले में संबद्ध सामानों के उत्पादक देश भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों से जुड़े बिखरे हुए उद्योग हैं। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उद्योग की प्रकृति और आकार के कारण प्रत्येक अलग अलग उत्पादक से उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भारत में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन का कोई प्रकाशित रिकॉर्ड नहीं है और ऐसी सूचना किसी भी सरकारी या बाजार अनुसंधान एजेंसी द्वारा संकलित नहीं की गई है, तथापि, उनकी सूचना के अनुसार, वे भारत में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादक हैं।

13. आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आवेदक या उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। अतः, प्राधिकारी ने आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग माना है, और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

छ. कथित पाटन का आधार

ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की प्रचलित कीमतों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तथापि, सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से यह कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सका जिस पर भरोसा किया जा सके। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के पास समर्पित प्रशुल्क वर्गीकरण नहीं है, अतः सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों जैसे यूएन कॉमट्रेड, ट्रेड मैप आदि से निर्यात आंकड़ों पर 'संबंधित संबद्ध देशों से उपयुक्त तीसरे देश को संबद्ध सामानों की तुलनीय प्रतिनिधिकारक निर्यात कीमत' तक पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।
15. किसी अन्य सूचना के अभाव में, आवेदक उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभों के लिए समायोजित किया गया है। वर्तमान जांच की शुरुआत के उद्देश्य से इस सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क,

बंदरगाह व्यय, सार-संभाल व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा और क्रेडिट लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है। प्रथम दृष्टया यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। यह प्रथम दृष्टया सिद्ध करता है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जाना जारी है।

ज. क्षति के जारी रहने और बार बार होने की संभावना और कारणात्मक संपर्क

18. आवेदक ने घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हुई निरंतर क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती और कीमत हास ने घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित दर प्राप्त करने से रोक दिया है। आवेदकों को लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आ रही है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान जांच में आगे क्षति की संभावना है और अधिशेष क्षमताओं, आयातों के संभावित न्यूनीकरण प्रभाव और अन्य सूचना प्रदान की है।
19. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, प्रारंभिक रूप से, यह दिखाती है कि विषय देशों से पाटन जारी रखने/दोहराने की संभावना है और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना दर्शाती है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

20. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना को प्रमाणित करते हुए, और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार बार होने की संभावना ऐसे शुल्कों की समाप्ति से रहेगी, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

ञ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल - एडी/ एसएसआर/003/2026 पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातक और प्रयोक्ता, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी पूरी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
26. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर

जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- एडी/एसएसआर/003/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
29. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दर्ज करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 26 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
30. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार, 15 दिनों से अधिक के विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
31. समय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध ऊपर पैरा 26 में निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. वर्तमान जांच में जहां कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना देता है, तो ऐसे पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
33. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।
34. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
35. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।

37. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।
38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
40. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 8 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
41. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ण. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा या उपयुक्त अवधि के भीतर या बाद में अलग पत्र के माध्यम से बाद में दी गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार काता है, या अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है या जांच में काफी बाधा डालता तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

([Directorate General of Trade Remedies])

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2026

Case No. – ADD SSR/03/2026

Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duties imposed on imports of “Calcined Gypsum Powder” Originating in or exported from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE.

1. **F. No. 07/06/2026-DGTR:** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s Saint Gobain India Pvt Ltd., (hereinafter referred to as the “applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duties on the imports of Calcined Gypsum Powder, originating in or exported from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review

whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of the previous investigations

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries was initiated on 29.09.2020 by the Designated Authority vide its initiation notification No. 6/45/2020 DGTR. Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of subject goods from the subject countries vide its final findings notification No.6/45/2020-DGTR dated 27.09.2021. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No. 73/2021-Customs (ADD) dated 17.12.2021 for a period of five years. The current Anti-dumping duty is valid up to 16.12.2026.

B. Product under consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present petition is “Calcined Gypsum Powder (Gypsum Plasters)” also referred as Plaster of Paris, Gypsum Stucco and Stucco Powder”. Gypsum Rock is chemically called Calcium Sulphate Dihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$), which when heated in controlled way it loses 1.5 water (H_2O) from its crystal structure to become stucco or gypsum plaster which is chemically known as Calcium Sulphate Hemihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot 0.5 \text{H}_2\text{O}$). As per the sunset review investigation carried out by the Designated Authority, the product has been defined as under:

“7. The product under consideration in the present application is "Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster". The subject goods are also known as Plaster of Paris, Gypsum Stucco and Stucco Powder”.

8. Gypsum Rock is chemically called Calcium Sulphate Dihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$), which when heated in controlled way it loses 1.5 water (H_2O) from its crystal structure to become stucco or gypsum plaster which is chemically known as Calcium Sulphate Hemihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot 0.5 \text{H}_2\text{O}$).

9. The subject goods are majorly used for levelling the surface. i.e., brick / block / RCC surface is coated with a 12-15 mm of gypsum plaster which gives it a smooth undulation, crack free finish. On top of this then putty and paint is applied. Traditionally people used to use sand-cement plaster which is now replaced with a direct coat of gypsum plaster. It is also used as decorative building elements like cornices & POP sheets. The subject goods are also used for the purposes of punning, such as a levelling / finishing element on top of sand-cement plaster.

10. The subject products are classified under Chapter Heading 25 "Mineral products: Salt; Sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement" of the Customs Tariff Act, The classification at the S-digit level is 25202010. It is also noted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.”

5. It has been contended that no significant developments have taken place over the period. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previous investigation
6. The Applicant industry has not proposed any PCNs. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and product control numbers (PCNs), if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation or date of the receipt of this notice.

C. Like Article

7. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject county. The article produced by the applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably.
8. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

D. Countries involved

9. The subject countries in the original investigation were Iran, Oman, Saudi Arabia and United Arab Emirates. The present investigation being a sunset review investigation, the subject countries are same as the original investigation.

E. Period of Investigation

10. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st October 2024 to 30th September 2025 (12 months). The injury examination period is April 2022 - March 2023, April 2023 - March 2024, April 2024 - March 2025 and the proposed period of investigation.

F. Domestic Industry and Standing

11. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the “domestic industry” may be construed as referring the rest of the producers

12. The application has been filed by M/s Saint Gobain India Pvt Ltd. (SGIPL), who is the major producer (55%) of the Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster in India. M/s Saint Gobain India Pvt Ltd., further submitted that in the present case producers of the subject goods are from fragmented industry consisting of a large number of small producers across the country. The Applicant has further stated that, it is not practically possible to collect data relating to production from each individual producer, due to nature and size of industry. It is further submitted that there are no published records of the gross domestic production of the product in India and such information is also not collated by any governmental or market research agency however, as per their information, they account for major producers of the subject goods in India.
13. The Applicant has also certified that there are no imports of the product under consideration by the Applicant or any of its related party. Further, they are also not related to any importer of the subject goods in India. Therefore, the Authority has considered the Applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

G. Basis of alleged dumping

Normal Value for Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE:

14. The applicant has submitted that it has attempted to obtain the prevailing prices of the subject goods in the subject countries. However, it could not obtain any credible information which could be relied on for the purpose of determining the normal value. Since the PUC does not have a dedicated tariff classification, the export data from publicly available sources such as UN Comtrade, Trade map etc., could not be relied on to reach a ‘comparable representative export price of the subject goods from the respective subject countries to an appropriate third country.’
15. In the absence of any other information, the normal value for the subject countries have been determined on the basis cost of production of the applicant industry duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits. This normal value has been considered for the purpose of present initiation.

Export Price

16. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, handling expense, inland freight and credit costs

Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level. It is prima facie seen that the dumping margin is positive. This prima facie establishes that product under consideration continues to be dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link

18. The applicants have provided prima facie evidence with respect to the continued injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The price undercutting and price suppression caused by dumped imports have prevented the domestic industry to recover the full cost and achieve a reasonable rate of

return. The applicant is suffering from decline in profits, cash profits, and return on capital employed. The applicant has also claimed that there is a likelihood of further injury in the present investigation and provided information on surplus capacities, likely suppressing effect of imports and other information.

19. The information provided by the applicant, prima facie, shows likelihood of continuation/recurrence of dumping from the subject countries and the consequent injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duties

I. Initiation of sunset review investigation.

20. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J. Procedure

21. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation.

K. Submission of Information

22. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID- AD/SSR/003/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal(<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

L. Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID- AD/SSR/003/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the ADD Rules, 1995.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

29. The 15 day period to file comments on the scope of PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 26 above of this initiation Notification.
30. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the AD Rules.
31. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 26 above. Requests submitted after this time will not be considered.

M. Submission of Information on Confidential Basis

32. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7 of the ADD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
33. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
34. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
41. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of public file.

42. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. Non-Cooperation

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Officer